न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 194/2020(2020/00272)

अनवान : –

1. सन्तलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पि0मु0 चावली जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. बन्शीलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मनीता उर्फ लाडो पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. नारायणी पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. धर्मावती पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. लिलावती पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. गुरूमुखी पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 गोगामेड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :– श्री मुन्शीराम गोस्वामी **वादी**
श्री भानुप्रताप सिंह **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 17/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नं0 17 व 24, मुरब्बा नं0 28 किला नं0 4 की कुल 0.759 हैक्टेयर एवं चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 148/132 के मुरब्बा नं0 52 किला नं0 21 ता 25, मुरब्बा नं0 69 किला नं0 1 ता 10, मुरब्बा नं0 70 किला नं0 1 व 10, मुरब्बा नं0 72 किला नं0 16, 17, 24, व 25, मुरब्बा नं0 89 किला नं0 4 ता 7 कुल 6.326 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी मोहरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पर [illegible] वादी के दादा दाताराम की खातेदारी हुआ करती थी। दाताराम के देहान्त होने पर [illegible] प्रतिवादी मोहरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा [illegible] इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी मोहरसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह को वादी के दादा दाताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी खतौनी ग्राम चक 2 नेठराना सम्वत 2016 खाता संख्या 32, जमाबन्दी खतौनी ग्राम चक 5 नेठराना सम्वत 2016 खाता संख्या 15 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 ता 7 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सन्तलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 एनटीआर सम्वत 2071–74 खाता संख्या 73/74 प्रदर्श 1, चक 5 एनटीआर सम्वत 2072–75 खाता संख्या 148/132 प्रदर्श 2, नामान्तण रजिस्टर चक 5 एनटीआर प्रदर्श 3, नामान्तण रजिस्टर चक 5 एनटीआर प्रदर्श 4, जमाबन्दी चक 2 एनटीआर सम्वत 2016 प्रदर्श 5, जमाबन्दी चक 6 एनटीआर सम्वत 2016 प्रदर्श 6, शपथ पत्र दिनांक 14.12.20 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 1 ता 5 के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि पैतृक हो।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नं0 17 व 24, मुरब्बा नं0 28 किला नं0 4 की कुल 0.759 हैक्टेयर एवं चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 148/132 के मुरब्बा नं0 52 किला नं0 21 ता 25, मुरब्बा नं0 69 किला नं0 6 ता 10, मुरब्बा नं0 70 किला नं0 1 व 10, मुरब्बा नं0 72 [illegible] 6, 17, 24, व 25, मुरब्बा नं0 89 किला नं0 4 ता 7 कुल 6.326 हैक्टेयर [illegible] खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी मोहरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है। [illegible] वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व प्र[illegible]दी संख्या 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 194/20 अनुवान सन्तलाल बनाम मोहरसिंह आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 73/74 के मुरब्बा नम्बर 27 के किला नं0 17 व 24, मुरब्बा नं0 28 किला नं0 4 की कुल 0.759 हैक्टेयर एवं चक 5 एनटीआर के खाता संख्या 148/132 के मुरब्बा नं0 52 किला नं0 21 ता 25, मुरब्बा नं0 69 किला नं0 6 ता 10, मुरब्बा नं0 70 किला नं0 1 व 10, मुरब्बा नं0 72 किला नं0 16, 17, 24, व 25, मुरब्बा नं0 89 किला नं0 4 ता 7 कुल 6.326 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाल प्रतिवादी मोहरसिंह के नाम से खातेदारी दर्ज है **उसमें वादी सन्तलाल व प्रतिवादी संख्या 1 मोहरसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 बंशीलाल को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Note:- दिनांक 07.07.2021
चक 5NTR के मु. नं. 69 के किला नं. 6 ता 10 के स्थान पर 1 ता 10 पढ़ा जावे।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:22:51 IST
Reason: SelfAttested